

कार्यालय उप आवासन आयुक्त  
राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त, अलवर

क्रमांक:- 2789

दिनांक:- 10-11-17

निविदा सूचना संख्या 02/2017-18

राजस्थान आवासन मण्डल की अलवर व भिवाडी की आवासीय योजनाओं में विभिन्न कार्यों की बिड के लिये समुचित श्रेणी के राजस्थान आवासन मण्डल में एवं अन्य विभागों में 'ए' एवं "एए" श्रेणी के पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से बिड आमन्त्रि की जाती है।

| निविदा की कुल लागत  | रूपये . लाख ( चार कार्य )                 |
|---|---|
| ऑन लाइन बिड मिलने की दिनांक   | 15.11.2017 से 14.12.2017 सायं 6.00 बजे तक |
| ऑन लाइन बिड एवं निर्धारित प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक  | 15.11.2017 से 14.12.2017 सायं 6.00 बजे तक |
| निविदा अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट व अन्य मूल प्रपत्र भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने की तारीख | 15.12.2017 सायं 4.00 बजे तक               |
| ऑन लाइन वित्तीय बिड खोलने की दिनांक   | 18.12.2017 को सायं 3.00 बजे               |
| SPPP UBN NUMBER   |   |

उक्त बिड एकल बिड पद्धति से आमन्त्रित की जाकर आवासीय अभियन्ता ई-प्रोक जयपुर के कार्यालय में उपरोक्तानुसार खोली जायेगी।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण एवं शर्तें वेबसाईट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in), <https://eproc.rajasthan.gov.in> एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

उप आवासन आयुक्त  
वृत्त अलवर

फोन नं0 0144-2332612

कार्यालय उप आवासन आयुक्त  
राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त, अलवर

क्रमांक:- 2788

दिनांक:- 10-11-17

निविदा सूचना संख्या 02/2017-18

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से अलवर व भिवाडी की आवासीय योजनाओं में विभिन्न कार्यों की निविदा ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र ई-प्रोक की साईट से दिनांक 15.11.2017 से 14.12.2017 तक डाउनलोड एवं अपलोड किये जा सकते हैं। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में राजस्थान आवासन मण्डल में समुचित वर्ग के पंजीकृत ठेकेदार एवं अन्य विभागों के "एए" एवं "ए" श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार भाग ले सकते हैं।

संवेदक को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से निविदा प्रस्तुत करते समय पंजीकरण की प्रति, जी.एस.टी.(GST) पंजीयन की सत्यापित प्रति एवं परफोर्मा A, B, C & D अपलोड करनी होगी। अन्य विभागों में पंजीकृत संवेदकों को अमानत राशि हेतु निविदा राशि की 2 प्रतिशत एवं राजस्थान आवासन मण्डल में पंजीकृत ठेकेदारों को 0.50 प्रतिशत राशि की डी.डी. तथा निविदा शुल्क की डी.डी राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त अलवर के पक्ष में देय होगी। ई-टेंडरिंग प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 1000/- का डी.डी. एम.डी.आर.आई.एस.एल. जयपुर. के पक्ष में देय होगा तथा सभी डी.डी. की प्रति को अपलोड किया जाना है।

| क्र.सं. | कार्य का नाम   | अनुमानित राशि (लाखों में) | धरोहर राशि (रूपये में) | निविदा शुल्क (रूपये में)    | कार्य की अवधि | संबंधित खण्ड | यूनिक विड नं. (UBN) |
|---------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1       | एन.ई.बी. विस्तार योजना अलवर में नाली, सड़क बर्म, सड़क की सफाई का कार्य।                                  | 17.23                     | 34460.00               | 590.00<br>जी.एस.टी.<br>सहित | 12 माह        | अलवर         |                     |
| 2       | आवासीय योजना शाहंजापुर की भूमि पर डिमार्केशन पिलर लगाने का कार्य, भिवाडी- जिला अलवर।                     | 5.89                      | 11780.00               | 590.00<br>जी.एस.टी.<br>सहित | 24 माह        | भिवाडी       |                     |
| 3       | आवासीय योजना बन्दापुर, फालसा भुडाली, हसनपुर की भूमि पर डिमार्केशन पिलर लगाने का कार्य, भिवाडी- जिला अलवर | 7.72                      | 15440.00               | 590.00<br>जी.एस.टी.<br>सहित | 24 माह        | भिवाडी       |                     |
| 4       | आवासीय योजना खोरी कलां की भूमि पर डिमार्केशन पिलर लगाने का कार्य, भिवाडी- जिला अलवर                      | 6.68                      | 13360.00               | 590.00<br>जी.एस.टी.<br>सहित | 24 माह        | भिवाडी       |                     |

निविदा एकल पद्धति से की जायेगी, प्राप्त निविदा दिनांक 18.12.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे ई-प्रोक्योरमेंट प्रकोष्ठ में खोली जायेगी बिडदाता को बिड खोलने की दिनांक से पूर्व दिनांक 15.12.2017 को सायं 4.00 बजे तक पंजीकरण की सत्यापित प्रति, जी.एस.टी. पंजीकरण की सत्यापित प्रति एवं अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई-टेंडरिंग शुल्क की मूल डी.डी. के साथ उप आवासन आयुक्त कार्यालय वृत्त अलवर में प्रस्तुत करने होंगे। वित्तीय निविदा खोलने के दिनांक पर राजकीय अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के संबंध में अन्य जानकारी संबंधित खण्ड से भी प्राप्त की जा सकती है।

नोट:-

1. राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्य निधि एक्ट लागू है, जिसका समस्त दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा।
2. राजस्थान आवासन मण्डल को एक या सभी निविदाएं रद्द करने का अधिकार होगा।
3. निविदाएं सशर्त स्वीकार नहीं होगी।
4. अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार होगी।

उप आवासन आयुक्त  
वृत्त अलवर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, राज.आवासन मण्डल जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राज.आवासन मण्डल जयपुर
- 3 आवासीय अभियन्ता, ई-प्रोक, राज.आवासन मण्डल जयपुर।
- 4 आवासीय अभियन्ता, राज.आवासन मण्डल खण्ड अलवर/भिवाडी।

उप आवासन आयुक्त  
वृत्त अलवर